

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, सितम्बर 29, 1977/आश्विन 7, 1899
No. 1] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1977/ASVINA 7, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, KANPUR**

NOTICES UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961
(43 OF 1961)

Kanpur, the 17th September 1977

No Acq/98-A/G. Bad/77-78/2981.—Whereas I, R P BHARGAVA being the Competent Authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing number as PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at GHAZIABAD, on 16th December 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269-D of the said Act to the following persons, namely:—

1. Shri Mohd Raja S/o Saied Mohd R/o Vill Tyodi Sat Biswe, P O Tyodi Terah Biswe, Parg. Jalalabad, Teh & Distt. Ghaziabad—*Transferor.*
2. S/Shri Jaipal Singh, Vijaypal Singh, S/o Khémchand, Ram Nath Singh and Raliram and Raghunath Singh and Rampal Singh, all sons of Chajju Singh, Sitaram, S/o Risa Singh, Bhopal Singh S/o Bhullar Singh, R/o Rajapur, P.O. Khas, Parg. Dasna, Distt Ghaziabad—*Transferee*
- 3 S/Shri *persons in occupation of the property.*
- 4 S/Shri *persons whom the undersigned knows to be interested in the property.*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land measuring 5 Bighas, 19 Biswa and 12 Biswansi and 10 Kachwansi with 13 Mango Trees, situated at vill Tyodi Saat Biswa, Parg Jalalabad, Distt Ghaziabad, transferred for an apparent consideration of Rs. 35,907/-

R P. BHARGAVA,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner,
of Income-tax, Acquisition Range,
Kanpur

Date : 17-9-77.
Seal.

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, कानपुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचनाएं

कानपुर, 17 सितम्बर, 1977

सं० एन० 98-ए, अर्जन/गा०बा०/77-78/2981.—अतः मुझे आर० पी० भार्गव, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त अधिनियम” कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षय प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावरसम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- में अधिक है और जिसकी संख्या अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार भूमित है (और इसमें उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-12-1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति या उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान

प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिनी (अन्तरिनियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से वर्धित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और / या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिनी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए, या, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री मो० रजा पुत्र सईद मोहम्मद नि० ग्राम ल्योडी सात विस्त्रे पो० ल्योडी तेरह विस्त्रे प० जलालाबाद, त० ब० जि० गाजियाबाद—अन्तरक ।
2. श्री जैपाल सिंह, विजयपाल सिंह पुत्र खेम चन्द्र, रामनाथ सिंह और रतीराम और रघुनाथ सिंह और रामपाल सिंह पुत्रगण छज्जूसिंह, सीताराम पुत्र रिसाल सिंह, भोपाल सिंह पुत्र भुल्लन सिंह, नि० राजापुर पो० खास प० डसना जि० गाजियाबाद—अन्तरिनी ।
3. श्री/श्रीमती कुमारी . . . —वह व्यक्ति जिसके अविभाग में सम्पत्ति है ।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी . . . —वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । उस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तन्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ।
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति 5 बोधा 19 विश्वा और 12 बिस्वामी 10 कचवासी, 13 ग्राम के पेड़ स्थित ग्राम त्योंडी सात बिस्वा परगना जलालाबाद जि० गाजियाबाद रुपये 35907/- के विक्रय मूल्य में बेची गई।

तारीख 17-9-1977

मोहर

(जो लागू न हो काट दीजिए)

आर० पी० भार्गव,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण,

अर्जन रेज, कानपुर।

No. Acq/95-A/G. Bad/77-78/2982—Whereas I, R P BHARGAVA, being the Competent Authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing number AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at GHAZIABAD on 15th December 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of,—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269-D of the said Act to the following persons, namely —

1. Smt Surendra Kaur Widow Harnam Singh, R/o 16/18, Raj Block, Naveen Shahdara, Delhi—*Transferor*,
2. Shri Chaudhary Kanwar Singh S/o Chailu Singh R/o Haidarpur, PO Khas, Delhi—42 —*Transferee*
3. S/Shri * * * * * *Persons in occupation of the property*
4. S/Shri * * * * * *Persons whom the undersigned knows to be interested in the property.*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette

Explanation—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land bearing Chak No. 764 measuring 9 Bigha, 16 Biswa and 11 Biswani, and Tubewell thereon, situated at Vill. Mandola Parg & Teh Iom, Distt Ghazilabad, transferred for an apparent consideration of Rs. 1,02,361/-

R. P. BHARGAVA,

Date. 17-9-77
Seal

Inspecting Assistant Commissioner
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition Range,
Kanpur.

सं० एन 95-ए/अर्जन/गाजियाबाद/77-78/2982.—प्रतः मुझे आर० पी० भार्गव, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन मध्य प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य रु० 25,000/- से अधिक है और जिनकी संख्या अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इसमें उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15 12/76 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम में दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल में पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिणी (अन्तरियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए और / या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् —

1. श्रीमती मुरेन्द्र कौर पत्नी हरनाम सिंह, निवासी 16/18, राज ब्लाक नवीन शाहदरा, दिल्ली—अन्तरक ।
2. श्री चौधरी कंवर सिंह पुत्र छेलू सिंह, निवासी हैदरपुर, पो० खास, दिल्ली-42—अन्तरिणी ।
3. श्री/श्रीमती/कुमारी . . . वह व्यक्ति जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी . . . वह व्यक्ति जिसके बारे में अपोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करना है। उस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी ब्राह्म में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 के में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अवन सम्पत्ति चक न० 761, 9 बीघा 16 बिस्वा और 11 बिस्वांसी, ट्यूबवैल सहित, ग्राम मडोला परगना व तहसील लौती जिला गाजियाबाद में स्थित, रु० 102,361/- के विक्रय मूल्य में बेची गई।

तारीख. 17-9-1977

मोहर :

आर० पी० भार्गव,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण,

अर्जन रज, कानपुर।

(जो लागू न हो काट दीजिए)

No. Acq/97-A/G. Bad/77-78/2983.—Whereas I, R. P. BHARGAVA being the Competent Authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing number AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at GHAZIABAD on 15th December 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice

under sub-section (1) of section 269-D of the said Act to the following persons, namely:—

- 1 Shri Amarnath Son of Mela Ram R/o 16/18, Raj Block, Naveen Shahdara, Delhi.—*Transferor*
- 2 Shri Bhagwan Singh S/o Chaudu Singh, R/o Haidarpur, P.O. Khas, Delhi—42 —*Transferee*
- 3 S/Shri *persons in occupation of the property.*
- 4 S/Shri *Persons whom the undersigned knows to be interested in the property*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette

Explanation—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land bearing Chak No. 34 measuring 4 bigha 18 Biswa and 6 Biswansi, and Tubewell thereon, situated at Village, Mandola, Parg. Loni, Teh & Dist Ghaziabad, transferred for an apparent consideration of Rs 54,692-50

Date: 17-9-77
Seal:

R. P. BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition Range,
Kanpur

सं० एन० 97-ए/अर्जन/गा०बाव/77-78/2983—अतः मुझे आर० पी० भार्गव, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त अधिनियम” कहा गया है) की धारा 269अ के अधीन मध्य प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि म्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 से अधिक है और जिसकी मूल्या अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-12-1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिणी (अन्तरियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का

27) के प्रयोजनार्थ अन्तर्गति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

- | | |
|--|---|
| 1 श्री अमरनाथ पुत्र मेलाराम | अन्तरक |
| नि० 16/18, राज ब्लाक, नवीन शाहदरा, दिल्ली— | |
| 2 श्री भगवान सिंह पुत्र लैलू सिंह | अन्तरिती |
| नि० हैदरपुर, पी० खास, दिल्ली-42— | |
| 3 श्री गीम तो/कुमारी | वह व्यक्ति जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है |
| 4 श्री/ गीम तो/कुमारी | वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है। |

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ। उस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति चक न० 34, 4 बीघा, 18 बिस्वा 6 बिस्वांसी द्यूवबेल सहित स्थित ग्रा० मडोला प० व त० लोनी, जिला गाजियाबाद 54,692/50 के विक्रय मूल्य में बेची गयी।

तारीख 17-9-77

मोहर :

आर० पी० भार्गव,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण,
अर्जन रज, कानपुर।

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

No Acq/94-A/G. Bad/77-78/2984.—Whereas I, R. P. BHARGAVA being the Competent Authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing number AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at GHAZIABAD on 15th December, 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the notice of this notice under sub-section (1) of section 269-D of the said Act to the following persons, namely:—

- 1 Shri Jaswant Rai S/o Mela Ram R/o 16/18, Raj Block Naveen Shahdara, Delhi,—*Transferor*
- 2 Shri Bhagwan Singh S/o Chailu Singh R/o Haidarpur, Delhi—42—*Transferee*
- 3 S/Shri *persons in occupation of the property*
- 4 S/Shri *Persons whom the undersigned knows to be interested in the property*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned;—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land bearing Chak No 221 measuring 7 Bighas, 1 Biswa and 4 Biswas, situated at Vill Mandola, Parg, Loni, Distt Gha-ziabad, transferred for an apparent consideration of Rs 71,970.

R. P. BHARGAVA,

Date: 17-9-77 .
Seal.

Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition Range,
Kanpur

सं० एम० 294-ए/अर्जन/गजियाबाद/77-78 2984 --अत मझे आर० पी० भार्गव, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 269 के अधीन सक्षय प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावरसम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 00 मे अधिक है और जिसकी सख्या अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के

अनुसार में स्थित है (और इससे उदाहरण अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-12-1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति से उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्वर्तित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों, और अन्तरिती (अन्तरियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों में युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वजह, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

- 1 श्री जमवन्त राय पुत्र मेला राम नि. 16-18 राज डलाक, नवीन शाहदरा, दिल्ली
—अन्तरक
2. श्री भगवान सिंह पुत्र लैन सिंह, निवासी हैदरपुर, दिल्ली—45 अन्तरिती ।
- 3 श्री श्रीमती/कुमारी . . . (वह व्यक्ति जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है) ।
- 4 श्री/श्रीमती/कुमारी . . . (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितग्रह है) ।

को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों, में से किसी व्यक्ति द्वारा ।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितग्रह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति चक्र न० 221, 7 बीघा, 1 बिस्वा ग्रीर 4 बिस्वान्सी स्थित ग्राम मंडोला पर० लोती जिला गजियाबाद 719701- के विषय मल्य से ब्रेची गई है।

तारीख 17-9-1977

आर० पी० भार्गव,

सोहर.

सक्षम प्राधिकारी,
महायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण,
(अर्जेंट रेंज), कानपुर।

(जो लागू न हो काट दीजिए)

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

